हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर— 122/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 17.05.2024 द्वारा ग्राम कस्बा झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 2879, 2880, 2881 रकबा 4.7500 है0 भूमि में अनावेदकगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जबाव पेश किया जाकर निवेदन किया कि श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के पत्र की पालना में प्रार्थना पत्र पेश करना विवादित नही है। श्रीमान् संभागीय आयुक्त सीकर संभाग सीकर द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.05.2024 क्रमांक / राजस्व / 2024/13 के द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर झुन्झुनू को अप्रार्थी नं. 3 प्रताप सिंह को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया तथा श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ (1) (8) (5) सतर्कता / सं.आ./13/2024/747 द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को अप्रार्थी नं. 3 प्रताप सिंह को सुनवाई का अवसर प्रदान कर कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट कार्यालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू को आवश्यक रूप से सात दिवस में अवगत करने हेतु निर्देशत किया गया था परन्तु श्रीमान् संभागीय आयुक्त व श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेशो की अवहेलना कर भूमिधारी तहसीलदार महोदय ने अप्रार्थी नं. 3 व अन्य खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर दिया किया गया। इस कारण आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है प्रार्थना पत्र की धारा नं. 2 विवादित नही है उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के अलावा कई अन्य व्यक्तियों ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व दानपत्रों के आधार पर खातेदार काश्तकार है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त समस्त व्यक्ति भी प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थना पत्र की धारा नं. 4 अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने उक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि सम्परिवर्तन चाहने बाबत राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 90 क के अधीन दिनांक 27.10.2023 को कार्यालय नगर परिषद झुन्झुनू में आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। उक्त आवेदन का विधान सभा आम चुनाव 2023 भी आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निस्तारण नही किया जा सका। आदर्श आचार संहिता हटने के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ सम्पपरिवर्तन हेतु ऑवेदन शुल्क के तौर पर रसीद संख्या 124/93 द्वारा दिनांक 12.12.2023 को 2,48,729/– रूपये जमा करवाये गये है दिनांक 04.01.2024 को तहसीलदार महोदय ने खेत खं.नं. 2879, 2880, 2881 रकबा 2.6686 की भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान कर दी और उक्त भूमि अभिर्धती अधिकारी को निर्वादित करने की सिफारिस कर दी। तत्पश्चात लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण प्रकरण का निस्तारण नही हो सका तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण का रूपान्तरण का आवेदन पत्र आगामी नियमानुसार कार्यवाही में प्रक्रियाधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को आधुनिक व व्यवसायिक कृषि कार्य के ही उपयोग में लिया जा रहा है। आवेदन पत्र की धारा नं. 7 अस्वीकार है यह लिखना गलत व अस्वीकार है कि कृषि भूमि का असंगत उपयोग कर लिया है जिसके लिए अभिधारी बेदखली का दायी हो। आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दिवानी के तहत आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई सिद्धि प्राप्त नही की जा सकती आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र नही दिया गया है। इस कारण आवेदक का आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील अनावेदकगण ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि अनावेदकगण की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण ने उक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि सम्परिवर्तन चाहने बाबत राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 90 क के अधीन दिनांक 27.10.2023 को कार्यालय नगर परिषद झुन्झुनू में आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। उक्त आवेदन का विधान सभा आम चुनाव 2023 भी आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निस्तारण नही किया जा सका। आदर्श आचार संहिता हटने के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ सम्पपरिवर्तन हेतु ऑवेदन शुल्क के तौर पर रसीद संख्या 124/93 द्वारा दिनांक 12.12.2023 को 2,48,729/– रूपये जमा करवाये गये है दिनांक 04.01.2024 को तहसीलदार महोदय ने खेत खं.नं. 2879, 2880, 2881 रकबा 2.6686 की भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान कर दी और उक्त भूमि अभिर्धती अधिकारी को निर्वादित करने की सिफारिस कर दी। तत्पश्चात लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण प्रकरण का निस्तारण नही हो सका तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण का रूपान्तरण का आवेदन पत्र आगामी नियमानुसार कार्यवाही में प्रक्रियाधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को आधुनिक व व्यवसायिक कृषि कार्य के ही उपयोग में लिया जा रहा है। अतः अनावेदकगण उक्त भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि सम्परिवर्तन करवाना चाहते हैं जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, वर्तमान में न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा उक्त भूमि पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बाबत राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का जारी किया हुआ है जिससे आगामी कार्यवाही संभव नहीं है। अतः उक्त स्थगन आदेश खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। राजंस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि भूमि खसरा नम्बर 2879, 2880, 2881 रकबा 4.7500 है0 की खातेदारी अनावेदगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा अनावेदकगण द्वारा कृषि से गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ सम्पपरिवर्तन हेतु आवेदन शुल्क के तौर पर रसीद संख्या 124/93 द्वारा दिनांक 12.12.2023 को 2,48,729/– रूपये जमा करवाये गये है दिनांक 04.01.2024 को तहसीलदार महोदय ने खेत ख.नं. 2879, 2880, 2881 रकबा 2.6686 की भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान कर दी और उक्त भूमि अभिर्धती अधिकारी को निर्वादित करने की सिफारिस कर दी। चूंकि उक्त भूमि बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उक्त भूमि का उपयोग कृषि भूमि ना होकर गैर कृषि के उपयोग में आना वर्णित किया है तथा उक्त भूमि को कुर्क कर कब्जे राज लेने एवं मौके से अप्रार्थीगण को बेदखल करने बाबत विचाराधीन है। चूंकि अनावेदकगण की उक्त भूमि के कृषि से गैर कृषि उपयोग में लेने हेतु संपरिवर्तन की पत्रावली नगर परिषद झुन्झुनू में विचाराधीन है तथा इस संबध में अनावेदगण द्वारा आवेदन शुल्क भी राजकोष में ज़मा करवा दिया गया है। अप्रार्थीगण के खाते में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का नोट होने से संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। चूंकि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उदेश्य भी बिना संपरिवर्तन करवाये कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग को रोकना है। अप्रार्थीगण द्वारा संपरिवर्तन की कार्य़वाही प्रक्रियाधीन है। उक्त परिस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अनावेदकगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाती साक्ष्यों, जबाव अप्रार्थीगण एवं न्यायालय मत पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के संलग्न रहे। आदेश आज दिनांक 15/10/24 को सुनाया गया।

हवाई सिंह
15/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner